[illegible]—541

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 अगस्त, 1995

श्रावण 17, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1495/सत्रह-वि-1—1 (क) 24-1995

लखनऊ, 8 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 4 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1995]

[(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जाएगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 25 फरवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(चच) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो;";

धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (4) में, शब्द "विद्या परिषद्, प्रवेश समिति और परीक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "विद्या परिषद् और प्रवेश समिति" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (5) निकाल दी जाएगी।

नई धारा 16-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :—

परीक्षा नियंत्रक

"16-क—(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसा विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(5) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा।

(8) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन स्थायिवत् परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में कुल सचिव के कर्तव्य

16-ख—जिन विश्वविद्यालयों को धारा 16-क के उपबन्ध लागू नहीं हैं उनमें परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का पालन कुल सचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कुल सचिव को परीक्षा नियंत्रक समझा जायेगा।"

धारा 18 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द "वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव" के स्थान पर शब्द "वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो," रख दिए जायेंगे।

6—मूल अधिनियम की धारा 20 में,— | धारा 20 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान किया हो।";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (तीन) में शब्द और अक्षर "खण्ड (छ)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "खण्ड (छ) और (ज)" रख दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द और अक्षर "और (छ)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "या (छ) या (ज)" रख दिये जायेंगे।

7—मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— | धारा 26 का संशोधन

"(चच) परीक्षा नियंत्रक,"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1995

8—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। | निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 1495(2)/XVII-V-1—1(KA) 24-1995

Dated Lucknow, August 8, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 4, 1995:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1995

[U. P. Act No. 14 of 1995]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State University Act, 1973.

It is hereby enacted in the forty-sixth year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1995. | Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on February 25, 1995.

2. In section 9 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*f*), the following clause shall be *inserted*, namely:— | Amendment of section 9 of President Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

"(ff) the Controller of Examinations, if any, appointed,";

Amendment of section 16

3. In section 16 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (4) *for* the words "the Academic Council, the Admissions Committee and the Examinations Committee", the words "the Academic Council and the Admissions Committee" shall be *substituted*;

(*b*) sub-section (5) shall be *omitted*.

Insertion of new section 16-A

4. *After* section 16 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"16-A. (1) This section applies only to the Universities of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and Kanpur and to any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the *Official Gazette*.

The Controller of Examination

(2) The Controller of Examinations shall be a whole time officer of the University.

(3) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government by a notification published in the *Official Gazette* and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(4) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(5) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.

(6) Subject to the Superintendence of the Examinations Committee the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(7) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

(8) While the Controller of Examinations is for any reason is unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled."

"16-B. In the Universities to which the provisions of section 16-A do not apply, the duties of the Controller of Examinations shall be discharged by the Registrar and with respect to such Universities the Registrar shall be deemed to be the Controller of Examinations for the purposes of this Act.

Duties of Registrar with respect to examinations in certain Universities

Amendment of section 18

5. In section 18 of the principal Act, *for* the words "Finance Officer and the Registrar" the words "Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any appointed," shall be *substituted*.

Amendment of section 20

6. In section 20 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* clause (*g*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*h*) one person, from amongst the reputed industrialists who have made valuable contribution in the field of higher education, to be nominated by the State Government;"

(*b*) in sub-section (2), in clause (iii) *for* the words and letters "clause (*g*)" the words and letters "clause (*g*) or clause(*h*)" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (3), *after* the words and letters "or clause (*g*)" the words and letter "or clause (*h*)" shall be *inserted.*

Amendment of section 26

7. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*c*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*cc*) the Controller of Examinations,"

Repeal and savings

U. P. Ordinance No. 7 of 1995

8. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस० यू०पी०—ए०पी० 170 सा० विधा०—(2594)—1995—850 (मेक०)।